

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,  
ननूरखेड़ देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादून: दिनांक 18 अप्रैल, 2018

विषय:-राजकीय आदर्श प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-शासनादेश संख्या-422/XXIV(1)/न0सू0अनु0/15/2015 T.C. दिनांक 10 जून, 2016 के क्रम में आपके पत्रांक-प्रा0शि0-दो(2)/25583/327/2017-18 दिनांक 09 जनवरी, 2018, जो राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों की शत-प्रतिशत पदस्थापना किये जाने हेतु मानकों में शिथिलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व निर्धारित 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक के मानक को शिथिल करते हुए, के स्थान पर 50 प्रतिशत उत्तीर्णांक निर्धारित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति इस आशय से प्रदान की जाती है कि राजकीय आदर्श राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती न्यूनतम पी0टी0आर0 के तहत की जायगी।

उक्तानुसार वर्णित शासनादेश दिनांक 10 जून 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढा जाये। उल्लिखित शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

भवदीया,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।

संख्या 220 (1) / XXIV(1) / न0सू0अनु0 / 2018-15 / 2015 T.C., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 4- प्रमुख निजी सचिव, विद्यालयी शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड।
- 9- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

आक्षेप  
(प्रदीप जोशी)  
संयुक्त सचिव।